कार्यालय वनमंडल अधिकारी, नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल, सागर (म.प्र.)

कार्यालय का पता –
पोद्दार कॉलोनी के सामने,
तिली रोड, फॉरेस्ट केम्पस, सागर (म.प्र.)

फोन/फैक्स नं. – 07582-236867
e-mail – dfowlndehl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/ 3541 सागर, दिनांक : 26-7-2022

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. जल निगम मर्यादित,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, दमोह।

विषय :– दमोह–पटेरा समूह जल प्रदाय योजना : नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र में पानी की पाईप लाईन बिछाने के कार्य की अनुमति बावत्।

संदर्भ :–
1. ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/PIPELINE/145895/2021.
2. आपका पत्र क्र./1572 दिनांक 27.09.2021.
3. कार्यालयीन पत्र क्र. 455 दिनांक 25.05.2022.
4. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर का पत्र क्र./2246 दिनांक 30.05.2022.

-----0-----

विषयांकित में लेख है कि ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/PIPELINE/145895/2... दमोह–पटेरा समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत अभयारण्य क्षेत्र में आवेदित वनभूमि रकबा 0.67985 हे. भूमि ... संयुक्त निरीक्षण उपरांत भाग–2 की पूर्ति कर इस कार्यालय के सदर्भित पत्र क्रमांक 455 दिनांक 25.05.2022 द्वारा प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर को प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त प्रेषित प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर के संदर्भित पत्र क्रमांक 2246 दिनांक 30.05.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में एन.पी.व्ही. की राशि ऑनलाईन चालान कमांक UTR No. SBIN12231961767 दिनांक 11.05.2022 द्वारा जमा की जा चुकी है। अतः वरिष्ठ द्वारा जारी निर्देशों के पालन में आवेदित/सीमांकित वनभूमि रकबा 0.67985 हे. में पाईप लाईन बिछाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित अधिरोपित शर्तों के अधीन सशर्त प्रदान की जाती है :

1. आवेदक संस्था को उपयोग पर दी जाने वाली अभयारण्य भूमि का स्वरूप वनभूमि ही रहेगा।
2. प्रेषित प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में पीने के पानी की भूमिगत पाइप लाइन बिछायी जावे भूमिगत पाइप लाइन का रि–एलाइन्मेंट न किया जावे।
3. आवेदित वन में पाईप लाईन बिछाने हेतु खोदी गई नाली को प्रत्येक 100 मी. पर कार्य करने के उपरांत समतल किया जावेग तत्पश्चात् अगले Chanage पर कार्य किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावानुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जावे एवं वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाया जावे।
6. निर्माण कार्य सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व न किया जावे, जिससे वन्यप्राणियों पर कोई दुष्प्रभाव न हो।
7. निर्माण कार्य हेतु समस्त निर्माण सामग्री अभयारण्य क्षेत्र के बाहर से लाई जायेगी।
8. अभयारण्य क्षेत्र के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/नदी–नालों से अवैध रेत उत्खनन/वृक्ष कटाई/आग जलाना/वन संपदा एवं वन्यप्राणियों को नुकसान पहुँचाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा।
9. निर्माण कार्य में संलग्न लोगों को, कार्य आरंभ करने के पूर्व ही, इस कार्य के दौरान क्या–क्या सावधानियां रखना है, इसके संबंध में जागरूक कर दिया जावे।
10. अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावे। श्रमिक कैम्प अभयारण्य क्षेत्र की सीमा से कम से कम 250 मीटर दूर रखा जावे।
11. निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री अभयारण्य क्षेत्र से कम से कम 250 मीटर से अधिक दूरी पर संग्रहण किया जावे।
12. निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण हो जाने पर आवेदक संस्था द्वारा इसकी सूचना संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी, नौरादेही (वन्यप्राणी) वनमण्डल सागर को प्रेषित की जावेगी।

13. निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रेक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रवधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होना पाया जाता है तो जारी स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जावेगी।

14. निर्माण कार्य के संबंध में संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी, नौरादेही (वन्यप्राणी) वनमण्डल सा... अथवा संबंधित वनाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

15. उक्त शर्तो/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जाव...

16. भविष्य में यदि शासन द्वारा आवेदक संस्थान से अतिरिक्त राशि जमा करने अथवा अधिरोपित शर्तो क... अतिरिक्त शर्ते अधिरोपित की जावेगीं, तो वे आवेदक संस्थान को मान्य होंगी।

प्रकरण में उक्त शर्तो के अधीन अभयारण्य क्षेत्र में पीने के पानी की भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा उक्त शर्तो का पालन करने संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करने उपरांत वरि... को औपचारिक स्वीकृति जारी करने बावत् लेख किया जावेगा। प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पूर्व कार्य प्रारंभ न किया जावे।

(सुधांशु यादव)
वनमंडल अधिकारी
नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल
सागर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./2022/ 3542
सागर, दिनांक : 26-7-2022

प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपवनमंडल अधिकारी (व.प्रा.) रहली/बरमान की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. गेम परिक्षेत्र अधिकारी, सर्रा/झापन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडल अधिकारी
नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल
सागर (म.प्र.)